मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-14.10.2015 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C. /L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। अतः सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा सभी विभागों में CWJC के लंबित मामलों पर चर्चा किया गया। विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इस माह 1303 CWJC के नये मामले दायर हुए जबकि 1661 मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। प्रतिशपथ पत्र दायर करने के संदर्भ में मुख्य सचिव के द्वारा कहा गया कि प्रत्येक माह आयोजित इन बैठक का उद्देश्य है कि जितने नये मामले दायर किए गए है उससे ज्यादा मामले में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया जाना चाहिए।

3. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा वैसे विभाग जहाँ CWJC के सर्वाधिक मामलें लंबित हैं, उन पर चर्चा किया गया। इन विभागों में **शिक्षा विभाग (1168 मामले), स्वास्थ्य विभाग (1058 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (743 मामले), समाज कल्याण विभाग (425 मामले) एवं पंचायती राज विभाग (409 मामले)** शामिल हैं।

इसी प्रकार अवमाननावाद MJC के कारणपृच्छा दायर करने हेतु सर्वाधिक मामले **स्वास्थ्य विभाग (191 मामले), शिक्षा विभाग (144 मामले), सहकारिता विभाग (50 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (25 मामले) एवं कृषि विभाग (19 मामले)** में लंबित है। इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र ससमय निश्चित रूप से दायर किया जाना चाहिए।

3. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा CWJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों पर चर्चा किया गया। इन विभागों में **समाज कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग** शामिल है। इसी प्रकार अवमाननावाद के मामले में कारणपृच्छा दायर करने में संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों पर भी चर्चा किया गया। इन विभागों में **समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग** शामिल है। इनके प्रयासों के लिए मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा इनकी सराहना की गई।

4. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा CWJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले पाँच विभागों पर चर्चा किया गया। इन विभागों में **स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पंचायती राज विभाग एवं परिवहन विभाग** शामिल है। इसी प्रकार अवमाननावाद MJC के मामलों में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों जिनमें **स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग** शामिल है, पर चर्चा किया गया। इन विभागों को प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने में हो रहे विलंब के आलोक में सतत प्रयास करने व विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा दिया गया।

5. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में लंबित CWJC के 1058 एवं MJC के 191 मामलों पर चर्चा किया गया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया गया कि CWJC के 1058 मामलों में से 655 मामलों में एवं MJC के 191 मामलों में से 82 मामलों में विभाग मात्र औपचारिक प्रतिवादी है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि इन मामलों में भी प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर किया जाना

आवश्यक है। विशेषकर MJC (अवमाननावाद) के लंबित मामलों में गंभीरतापूर्वक विश्लेषण करते हुए उनमें यथाशीघ्र कारणपृच्छा दायर करने हेतु स्वास्थ्य विभाग को निदेश दिया गया।

6. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लंबित CWJC के 768 में मात्र 25 मामलों में, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग में CWJC के 227 मामलों में से मात्र 24 मामलों में एवं पंचायती राज विभाग में लंबित CWJC के 440 मामलों में से मात्र 31 मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर किए जाने पर चिंता व्यक्त किया गया। मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा संबंधित विभागों को प्रतिशपथ-पत्र दायर करने की प्रक्रिया को गंभीरता से लेने एवं लंबित मामलों की संख्या को कम करने का निर्देश दिया गया।

7. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा इस बात पर चर्चा किया गया की क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ किए जाने वाले बैठक में औपचारिक प्रतिवादी होने की स्थिति में किस प्रकार प्रतिशपथ-पत्र दायर किया जाना सुविधाजनक हो, इस संबंध में सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव से मंतव्य देने का निर्देश दिया गया।

8. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा परिवहन विभाग में लंबित CWJC के 80 मामलों में से मात्र 9 मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर किए जाने के संबंध में चर्चा किया गया। इस संबंध में प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के द्वारा बताया गया कि CWJC के 80 मामलों में से 34 मामले BSRTC से संबंधित हैं। लंबित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु विभाग के द्वारा BSRTC को निर्देश दिया गया है, साथ ही विभागीय स्तर पर लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

9. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा उच्चत्तम न्यायालय में बिहार सरकार के विरुद्ध लंबित मामलों पर चर्चा किया गया। इस संबंध में विधि विभाग को यह निर्देश दिया गया कि उच्चत्तम न्यायालय में विगत दस वर्षों में राज्य सरकार के विरुद्ध दायर मामलों में से कितने मामलों में फैसला राज्य सरकार के पक्ष में हुआ है एवं कितने मामलों में राज्य सरकार के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है इससे संबंधित प्रतिवेदन सम्पर्क कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली से प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाय।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

16/10/15

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/7097 जे0 पटना, दिनांक- 19-10-15

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/10/15

(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/7097 जे0 पटना, दिनांक- 19-10-15

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/10/15

(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार।